"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2012—कार्तिक 4, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 4-6/2008/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता, (तत्कालीन) मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर वर्तमान में सेवानिवृत्त को क्रमशः दिनाक 20-01-2012 से 03-02-2012 तक (15 दिन), दिनांक 06-08-2012 से दिनांक 17-08-2012 तक (12 दिन), दिनांक 17-09-2012 से 21-09-2012 तक (05 पांच दिन) एवं दिनांक 01-10-2012 से 05-10-2012 तक (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा क्रमशः दिनांक 03 एवं 04 फरवरी, 2012, दिनांक 04 एवं 05 अगस्त, 2012 एवं दिनांक 18 एवं 19 अगस्त, 2012, दिनांक 22 एवं 23 सितंबर, 2012 एवं दिनांक 06 एवं 07 अक्टूबर, 2012 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्रमांक 8395/2345/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री मनोज कुमार सिसोदिया, अधिवक्ता, सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती के न्यायालय हेतु शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्रमांक 8397/2345/21-ब/छ.ग./2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री मनोज कुमार सिसोदिया, अधिवक्ता, सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती के न्यायालय हेतु शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्रमांक 8399/2345/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संजय कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती के न्यायालय हेतु शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्रमांक 8401/2345/21-ब/छ.ग./2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संजय कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती के न्यायालय हेतु शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक M.P./3434 को दिनांक 21-09-2012 से 20-03-2013 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

मछली पालन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 6-10/36/योजना/2012/318.—श्रीमती बिलासाबाई केंवटीन मत्स्य विकास पुरस्कार के नियम 7 में विभागीय आदेश क्रमांक 712/एफ 7-5/36/अन्य/2008 रायपुर दिनांक 7-10-2008 में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किए जाते हैं.

चयन की पात्रता हेतु निर्धारित बिंदुओं के स्थान पर निम्नानुसार चयन पात्रता एवं अंक निर्धारित किए जाते हैं.

1	मत्स्य बीज उत्पादन एवं संवर्धन	प्रस्तावित विवरण	अंक
1.1	स्पॉन (लाख में)	1000 लाख से कम	0
		1000 लाख पर	15
		प्रत्येक 100 लाख पर	2
		2000 लाख या अधिक पर	अधिकतम 35 अंक.

1.2	स्टैण्डर्ड फ्राई लाख में	100 लाख से कम	0
		100 लाख पर	15
		प्रत्येक 5 लाख पर	2
		150 लाख या अधिक पर	अधिकतम 35 अंक
2	मत्स्योत्पादन (न्यूनतम 3000 कि.ग्रा./हे.)	3000 कि.ग्रा. से कम	0
		3000 कि.ग्रा. पर	25
		प्रत्येक 1000 कि.ग्रा. पर	5
		8000 कि.ग्राम या अधिक पर	अधिकतम 50 अंक
3	समन्वित मछली पालन	100 बतख से कम	0
3.1	बतख सह मछली पालन एवं मुर्गी सह मछली पालन	100 बतख पर	1
		प्रत्येक 100 से अधिक 100 बतख पर	1
		500 बतख या अधिक पर	अधिक 5 अंक
		200 मुर्गी से कम	0
		200 मुर्गी पर	1
		प्रत्येक 200 से अधिक 100 मुर्गी पर	1
		500 मुर्गी या अधिक पर	अधिकतम 5 अंक
	बतख सह मछली पालन एवं मुर्गी सह मछली पालन	योग	10
3.2	सूकर सह मछली पालन	2 सूकर ट्रई से कम	0
		2 सूकर ट्रई-पर	1
		प्रत्येक सूकर ट्रई पर	1
		6 सूकर ट्रई या अधिक पर	अधिकतम 5 अंक
3.3	डेयरी सह मछली पालन	5 दुधारू पशु से कम	0
		5 दुधारू पशु पर	1
		प्रत्येक 2 दुधारू पशु पर	1
		10 दुधारू पशु या अधिक पर	अधिकतम 5 अंक
4	मत्स्य पालन हेतु अतिरिक्त जलक्षेत्र का विकास	नवीन तालाब निर्माण प्रत्येक हेक्टेयर पर	2 अंक
		5.00 हेक्टेयर निर्माण या अधिक पर	अधिकतम 5 अंक
5	विलुप्त होने वाली मछलियों की प्रजातियों का संरक्षण	1 प्रजाति का संरक्षण पर	1 अंक
		5 प्रजाति के संरक्षण पर	5 अंक
6	मछलियों की बीमारियों के रोकथाम हेतु किए गए अनुसंधान कार्य		5 अंक

7	मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान कार्यों पर	—	5 अंक
8	मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु नवीन पद्धतियों का उपयोग	—	20 अंक
9	जूरी द्वारा प्रदत्त अंक	—	20 अंक
	कुल		**200 अंक**

शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. दवे, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्रमांक 1292/तक.264/टीसी/2012.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 67 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2703/परि.वि./2010, दिनांक 15-10-2010 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 5-17/आठ-परि./2012, दिनांक 19-07-2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकारी तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को भाड़ा निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित और निर्देश जारी करती है, जो नगर सेवाओं से भिन्न प्रक्रम वाहनों के लिए राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा, अर्थात् :—

निर्देश

1. प्रक्रम वाहनों द्वारा प्रभार्य भाड़ा होगा—

(1)	सामान्य प्रक्रम वाहन की दशा में	रुपये 05.00 प्रति यात्री 05 कि.मी. की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् 00.75 पैसे प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिये.

2. निर्देश-1 के अधीन संगणित भाड़े में निम्नानुसार वृद्धि की जायेगी —

(क)	साधारण रात्रिकालीन बस सेवा के लिए	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 10% (दस प्रतिशत) अधिक
(ख)	साधारण बस एक्सप्रेस सेवा के लिए	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 10% (दस प्रतिशत) अधिक
(ग)	एक्सप्रेस रात्रिकालीन सेवा (साधारण बस) के लिए.	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 15% (पन्द्रह प्रतिशत) अधिक
(घ)	डीलक्स, अर्द्ध-डीलक्स शयन कोच के लिए	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 20% (बीस प्रतिशत) अधिक
(ङ)	डीलक्स शयन कोच वातानुकूलित और वातानुकूलन रहित से भिन्न डीलक्स एक्सप्रेस अथवा/एवं रात्रिकालीन सेवा के लिये.	ऊपर खण्ड (घ) में वर्णित किराये के अतिरिक्त सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 05% (पांच प्रतिशत) अधिक.
(च)	डीलक्स शयन कोच वातानुकूलन रहित के लिए	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 25% (पच्चीस प्रतिशत) अधिक
(छ)	डीलक्स शयन कोच वातानुकूलित के लिए	सामान्य प्रक्रम वाहनों के किराये से 30% (तीस प्रतिशत) अधिक

टीप :—

(1) उपरोक्तानुसार संगणित किराए की कुल राशि में पचास पैसे तथा उससे अधिक की किसी राशि को, अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और पचास पैसे से कम किसी राशि को छोड़ दिया जाएगा.

(2) रात्रिकालीन बस सेवा से अभिप्रेत है, ऐसी सेवा जो साधारणतः सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य संचालित होती है और जिसकी एक ओर की दूरी 200 कि.मी. से अधिक हो.

(3) जहां अनुज्ञा पत्र स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस सेवा के रूप में सेवा की अनुमति प्रदान करता है, तो पंजीयन प्रमाणपत्र तथा अनुज्ञा पत्र में इसे प्रविष्ट किया जायेगा और तदनुसार किराया सूची जारी की जाएगी.

(4) इस प्रकार अनुज्ञात एक्सप्रेस बस सेवा का स्टॉपेज 50 कि.मी. या उससे अधिक होना चाहिए.

उपरोक्त निर्देश नीचे अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :—

अनुसूची

(1) निम्नलिखित व्यक्ति—
- (अ) नेत्रहीन व्यक्ति,
- (ब) मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्ति,
- (स) विकलांग व्यक्ति, जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हो,
- (द) वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र 80 (अस्सी) वर्ष या उससे अधिक हो, और
- (ई) एच.आई.व्ही./एड्स से पीड़ित मरीज जो छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी स्थान पर उपचार अथवा अन्यथा के लिए, एक सहायक के साथ यात्रा करें, उन्हें यात्री किराये में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, अर्थात् कोई किराया नहीं लिया जायेगा.

(2) (क) सरल क्रमांक (1) में उल्लिखित दोनों पैरों से विकलांग व्यक्तियों के लिए, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों अथवा शासकीय चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाणपत्र.

(ख) एच.आई.व्ही./एड्स से पीड़ित मरीज के लिए, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर, ए.आर.टी. केन्द्र या कैन्सर अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाणपत्र.

स्वीकार्य होंगे तथा ऐसे प्रमाणपत्र विकलांग व्यक्ति द्वारा यात्रा के दौरान यात्री बस के चालक/परिचालक को प्रस्तुत किये जायेंगे.

(3) छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी कोई व्यक्ति, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से जारी किया गया "नक्सल प्रभावित व्यक्ति" का प्रमाणपत्र रखकर, यदि राज्य के भीतर यात्री बस द्वारा यात्रा के दौरान इसे दिखाता है, तो उसे 50 प्रतिशत यात्री किराये के भुगतान से छूट दी जायेगी.

(4) सरल क्रमांक (1) से (3) में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन पर, अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 86 के अधीन एवं परिचालक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 34 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.

No.1292/तक.264/टीसी/2012.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this Department Notification No. 2703/परि.वि./2010, dated 15-10-2010 and Notification No. F 5-17/VIII-परि.वि./2012, dated 19-07-2012, the State Government, hereby, issue the following further directions to State Transport Authority and Regional Transport Authority regarding fixation of the fares with effect from the date of its publication in the Official Gazette for stage carriages other than city services, namely :—

DIRECTION

1. Fare chargeable by the State Carriages shall be—

(i) In the case of Ordinary Stage Carriage — Rupees 05.00 per passenger up to a distance of 05 Kilometers and thereafter 00.75 paise per passenger per Kilometer or part thereof.

2. The fare calculated under direction-1 shall be increased—

(a)	For Ordinary Night Bus Service	10% (Ten percent) excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.
(b)	For Ordinary Bus Express Service	10% (Ten percent) excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.
(c)	For Express Night Service (Ordinary Bus)	15% (Fifteen percent) excess of the fare of Ordinary State Carriages.
(d)	For Deluxe, Semi-Deluxe Sleeper Coach.	20% (Twenty percent) excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.
(e)	For Deluxe Express or/and Night Service Other than Deluxe Sleeper Coach A/C and Non A/C.	05% (Five percent) excess of the fare of Ordinary Stage Carriages in addition of fare mentioned in (d) above.
(f)	For Deluxe Sleeper Coach Non A/C.	25% (Twenty five percent) excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.
(g)	For Deluxe Sleeper Coach with A/C.	30% (Thirty percent) excess of the fare of Ordinary Stage Carriages.

Note :—

(1) The total amount of fare calculated as per above, any amount of fifty paise and above shall be rounded off to the next higher rupee and any amount less than fifty paise shall be ignored.

(2) Night bus service means a service ordinarily running during sunset and sunrise and which is having a distance of more than 200 Kms. one way.

(3) Where the permit expressly allow the service as express service, it shall be entered in the Registration Certificate and Permit and fare table shall be issued accordingly.

(4) Express Bus Service allowed as such in the permit must have stoppages of 50Kms. or more.

The above direction shall be subject to the conditions mentioned in the Schedule below :—

SCHEDULE

(1) The following persons—
- (a) The Blind person.
- (b) Mentally retarded people.
- (c) Disabled persons, who are not capable to walk on both the legs.
- (d) Senior Citizens whose age is eighty years or more, and
- (e) Patient suffering from HIV/AIDS, travelling anywhere in Chhattisgarh State for the treatment or otherwise alongwith one attendant, shall be exempted 100% from the fare, i.e. no fare shall be charged.

(2) (a) For disabled person with both legs mentioned in S.No. (1), a certificate with photograph issued by the officers of Panchayat and Social Welfare Department or Officers of Government Hospital.

(b) Patient suffering from HIV/AIDS, a cetificate with photograph issued by the Chief Medical Officer of the District or Officers of the Chhattisgarh State Aids Control Society, Raipur, ART Centers, or Cancer Hospitals

Shall be acceptable and such certificate shall be presented by the disabled person during the journey to the conductor/driver of the passenger bus.

(3) Any person being a resident of Chhattisgarh State carrying a certificate of "Naxal Affected Person", duly issued by the Collector with the recommendation of the Police Superintendent of the concerned district if shown while traveling by passenger bus within the State, shall be exempted from paying 50% of the fare.

(4) The breach of any condition mentioned in S. No. (1) to (3) shall be actionable under Section 86 of the Act, against the permit holder and under Section 34 of the Act against the conductor.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. तोमर, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-09-2012 द्वारा जारी, इंद्रावती बाघ संरक्षण फाउंडेशन, के संबंध में शासी निकाय गठन अधिसूचना के अनुक्रमांक 6, 7, 8, 9 में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :—

6. संबंधित क्षेत्र के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अथवा फील्ड अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ—
   I डॉ. सुशील कुमार दत्ता, प्रोफेसर, जगदलपुर, विभाग प्रमुख जीव विज्ञान, शासकीय पी.जी.कालेज जगदलपुर. — सदस्य
   II डॉ. एच. के. एस. गजेन्द्रा, प्रोफेसर प्रभारी, प्रधानाचार्य, शासकीय अरविन्द कालेज, किरन्दुल. — सदस्य

7. विधान सभा सदस्य जो राज्य विधान सभा में संबंधित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहें हों—
   I श्री माननीय महेश गागड़ा, विधायक, विधान सभा, बीजापुर — सदस्य

8. बाघ रिजर्व क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार प्राप्त जिला पंचायत के प्रतिनिधि—
   I श्रीमती नीता शाह मण्डावी, कुटरू — सदस्य

9. फाऊंडेशन की कार्यकारी समिति के दो सदस्य (फील्ड निदेशकों/उपनिदेशकों के अलावा)—
   I सहायक निदेशक, इंद्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर — सदस्य
   II परिक्षेत्र अधिकारी, पिल्लूर — सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 8-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

Raipur, the 8th October 2012

No. F 8-20/2007/10-2.—In pursuance of this Department Notification of even number dated 06-09-2012 by which governing body of Indravati Tiger Conservation Foundation has been constituted, the following persons given at S. No. 6, 7, 8 & 9 of the notification are nominated as member of the Governing body.

6 Two Prominent scientists or qualified experts in the field—
   I. Dr. Sushil Kumar Dutta, Head of the Department of zoology Govt. P. G. College, Jagdalpur. — Member
   II. Dr. H. K. S. Gajendra, Incharge Principal, Govt. Arbind College, Kirandul. — Member

7. Member of Legislative Assembly, who represent the concerned area in the State Legislative Assembly—
   I. Shri Mahesh Gagada, MLA, Bijapur — Member

8. Representative of the District Panchayat having jurisdiction over the Tiger Reserve area—
   I. Smt. Neeta Shah Mandavi, Kutru — Member

9. Two members of the Executive Committee of the Foundation (other than the Field Director/Deputy Director)
   I. Assistant Director, I.T.R. Bijapur — Member
   II. Range officer, Pillur — Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. T. NANDY, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-09-2012 द्वारा जारी, इंद्रावती बाघ संरक्षण फाउंडेशन, के संबंध में कार्यकारी समिति गठन अधिसूचना के अनुक्रमांक 3 एवं 4 में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :—

3. बाघ रिजर्व में कार्यरत पारिविकास समिति के दो प्रतिनिधियों का शासी निकाय में नामित व्यक्ति—
   I श्रीमती विजय लक्ष्मी, सरपंच, फरसेगढ़ — सदस्य
   II श्री रामप्रसाद सिंह, ग्राम पटेल, भोपालपटनम — सदस्य

4. बाघ रिजर्व के फ्रंटलाइन स्टाफ के दो सदस्य—
   I परिक्षेत्राधिकारी, भोपालपटनम — सदस्य
   II परिक्षेत्राधिकारी, सेण्ड्रा — सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 8-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

Raipur, the 8th October 2012

No. F 8-20/2007/10-2.—In pursuance of this Department Notification of even number dated 06-09-2012 by which Executive Committee of Indravati Tiger Conservation Foundation has been constituted, following persons given at S. No. 3 & 4 of the notification, are nominated as member of executive committee.

3. Two representatives of Ecodevelopment Committees working in the Tiger Reserve.

I.	Smt. Vijaylaxmi, Sarpanch, Farsegarh	—	Member
II.	Shri Ramprasad Singh, Village Patel, Bhopalpatnam	—	Member

4. Two members of Frontline staff of the Tiger Reserve.

I.	Range officer, Bhopalpatnam	—	Member
II.	Range officer, Sendra	—	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. T. NANDY, Special Secretary.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

क्रमांक/4486/एफ-11/12/2012/रबी/14-2.—मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 4183 दिनांक 18-09-2012 के अनुक्रम में संचालक कृषि के पत्र क्र. 2226 दिनांक 01-10-2012 के माध्यम से प्राप्त संशोधन प्रस्ताव अनुसार सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिले हेतु गेहूं एवं चना फसलों के लिए न्यूनतम तापमान ट्रिगर परिशिष्ट-1 अनुसार और शामिल किया जाता है. अधिसूचना क्र. 4183 दिनांक 18-09-2012 की अन्य विषयवस्तु एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Annexure-I

Weather Based Crop Insurance Scheme Rabi 2012-13

District-Sarguja, Surajpur, Balrampur

Crop-Gram

Cover Period	ICICI Lombard						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (°C)	24	25	27.5	30	32	36	38
Exit Temp. (°C)	29	30	32.5	35	37	41	43
Difference Temp. (°C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	430	430	430	430	430	430	420
Max. Payout Rs./ha.	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2100

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
ICICI Lombard	30-90	25	1500	20-80	25	1500	30-90	8	500

Index-A (Frost Index) Total downward deviation of daily minimum temperature from the trigger temperature during the cover phase

Cover phase. From	15-Dec-13	Trigger temperature (Deg. C)	3.50
To	15-Feb-13		
Strike (°C)	2.0		
Exit (°C)	8.0		
Standard Loss Rate Between Strik and Exit-National (रु./°C/Hectare)	250		
Phase Limit (रु./Hactare)	1500		

Crop-Wheat

Cover Period	ICICI Lombard						
	1 Jan. to 15 Jan.	16 Jan. to 31 Jan.	1 Feb. to 14 Feb.	15 Feb. to 28 Feb.	1 March to 15 March	16 March — to 31 March	1 April to 15 April
Trigger Temp. (°C)	24	25	27.5	30	32	36	38
Exit Temp. (°C)	29	30	32.5	35	37	41	43
Difference Temp. (°C)	5	5	5	5	5	5	5
Payout (Rs. per 0C/ha.)	286	286	286	286	286	286	284
Max. Payout Rs./ha.	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1420

Rainfall

Name of Comp.	1 Jan. to 31 Jan. 2013			1 Feb. to 28 Feb. 2013			1 Mar. to 31 Mar. 2013		
	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout	MM	Payout per MM	Max. Payout
ICICI Lombard	30-90	25	1500	20-80	25	1500	30-90	8	500

Index-A (Frost Index) Total downward deviation of daily minimum temperature from the trigger temperature during the cover phase

Cover phase. From	15-Dec-13	Trigger temperature (Deg. C)	3.50
To	15-Feb-13		
Strike (°C)	2.0		
Exit (°C)	8.0		
Standard Loss Rate Between Strik and Exit-National (रु./°C/Hectare)	250		
Phase Limit (रु./Hactare)	1500		

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2012

क्रमांक 8/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	लटकोनीखुर्द प.ह.नं. 14	7.251	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर.	घुरदेवा नाला जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2012

क्रमांक 9/अ-[illegible]-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
[illegible]	[illegible]	[illegible] प.ह.नं. 17	6.361	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर.	घुरदेवा नाला जलाशय योजना के डूब निर्माण हेतु.

[illegible] अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./01/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं.	रकबा (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डूमरतालाब प. ह. नं. 104	103/5	231.35	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	एन. एच.-6 से कोटा मार्ग के कि.मी. 2/2-4 में अण्डर ब्रिज निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			103/24	110.00		
			103/25	115.25		
			99/24	178.75		
			99/16	310.00		
			99/7	160.35		
		योग	**6**	**1105.70**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8399/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	आमगांव प. ह. नं. 29	1.413	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8400/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	कन्हारपुरी प. ह. नं. 64	0.131	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8401/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	खुर्सीटिकुल प. ह. नं. 64	0.590	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8499/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	अमलीडीहखुर्द प. ह. नं. 20	0.137	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	अमलीडीह-कुम्ही मार्ग पर आमनेर नदी पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8519/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आरी प. ह. नं. 19	0.803	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के आरी माइनर अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	खैरपुर प. ह. नं. 26	0.420	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, रायगढ़.	खैरपुर-कृष्णापुर सड़क निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लारा प. ह. नं. 40	369.749	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिंया	आमापाली प. ह. नं. 34	4.075	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिंया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./22/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोवा, प.ह.नं. 109
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-440 वर्गमीटर

खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
650/5, 651/5	20
650/4, 651/4	70
650/3, 651/3	70
650/2, 651/2	50
650/1, 651/1	20
654/9, 927/9	130
654/8, 927/8	60
654/7, 927/7	20
योग	440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-रायपुर बलौदाबाजार मार्ग के कि.मी. 6/6 पर जब्बार नाला पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्रमांक 2/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-मेड़ुका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.27 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
59	0.19
455/3	0.15
68/3	0.19
427/1	0.13
38/2	0.11
71/1	0.18
57/1	0.45
53/1	0.02
432/2, 433/1, 442/2	0.48
25/1	0.15
444	0.13
52/2	0.13
70	0.02
57/2	0.15
53/2	0.09
65/1	0.04
445	0.24
65/2	0.22
450/2	0.33
58	0.02
65/3	0.48
71/2	0.18
25/2	0.30
38/4	0.11
38/1	0.13
39	0.15
52/3	0.12
68/2	0.10
449/1	0.16
446/1	0.95
431/2, 432/1	0.58
38/3	0.33
40	0.33
450/1	0.33
52/4	0.30
454	0.36
443/1	0.66
73/2	0.28
योग 38	9.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्री व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 4 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-पवनी, प.ह.नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2484	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोवर सोनिया मुख्य नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 8 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-गेड़ापाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.662 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3/56	0.232
	3/26	0.761
	3/58	0.405
	3/27, 3/32	0.405
	3/61	0.405
	3/38	0.081
	3/40	0.324
	3/43	0.373
	3/39	0.393
	3/41	0.372
	3/42	0.380
	3/45	0.032
	3/11	0.610
	3/13	0.636
	3/14	0.069
	10	0.405
	12	0.600
	11	0.121
	3/15, 3/35	1.314
	13	0.328
	14	0.308
	5	0.275
	2/1	0.813
	3/59	0.465
	3/19	0.080
	3/33	0.607
	3/44	0.046
	3/17	0.450
	3/51	0.425
	18/2	0.364
	18/1	0.609
	25/13	0.186
	25/10	0.405
	44	0.498
	3/55	0.629
	3/52	0.249
योग	36	14.662

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-ठाकुरदिआ जलाशय के डूब में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्रमांक 1793/अ.वि.अ./2012/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डिघोरा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.915 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	165	0.016
	166	0.069
	169/2	0.089
	167/1	0.081
	167/2	0.081
	169/1	0.295
	169/3	0.142
	170	0.142
योग	8	0.915

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरारी व्यपवर्तन के शीर्ष कार्य एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्रमांक क/17315/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बाड़ादरहा, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-69.18 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
86/4	).06
86/7	).06
86/8	).05
94/1	).13
94/2	).13
94/3	).14
95/2	).30
95/3	.30
95/4	.30
96/3	.50
97	.84
114/2क-115-118-119/1क-119/2क-120-121-124-125-150/2क/1	.19
114/2क-115-118-119/1क-119/2क-120-121-124-125-150/2क/2	(46
114/2क-115-118-119/1क-119/2क-120-121-124-125-150/2क/3	22
114/2क-115-118-119/1क-119/2क-120-121-124-125-150/2क/9	(56
114/2क-115-118-119/1क-119/2क-120-121-124-125-150/2क/10	0 19

(1)	(2)	(1)	(2)
114/2क-115-118-119/1क-119/2क-120-121-124-125-150/2क/11	0.65	301/5	0.13
		372/2	0.30
		376/2	0.11
99-100-101-102-104-108/1	0.45	379/5	0.03
127	0.34	379/6	0.03
128	0.48	382/1	0.16
130/2	0.21	382/2	0.60
132	1.84	382/4	0.80
133	2.00	383/5	0.20
135/2	0.86	383/6	0.20
137/2	0.05	388/2	0.68
137/4	0.05	389/1	0.27
139	0.24	389/2	0.27
140	0.25	389/3	0.55
143/2-144/2	0.18	390/2	0.04
143/3-144/3	0.41	391/1	0.04
143/5-144/5	0.13	391/2	0.04
150/1	0.26	391/3	0.04
150/3	0.14	392/1	0.04
150/5	0.53	392/2	0.04
150/7	0.12	392/3	0.04
150/9	0.06	393/1	0.01
150/10	0.06	393/2	0.01
150/13	0.27	393/3	0.02
278/2	0.03	394/1	0.04
278/3	0.13	394/2	0.05
278/4	0.26	394/3	0.04
278/5	0.57	395/1	0.07
278/7	0.09	399	0.34
280/1	0.28	400	0.31
280/3	0.19	401/1	0.26
280/5	0.07	401/3	0.26
281/1	0.50	403/5	0.14
281/3	0.37	404/5	0.52
282/2	0.26	404/8	0.18
284/1	0.08	404/10	0.86
284/2	0.09	404/11	0.16
285/2	1.00	404/13	0.51
285/3	0.32	404/18	0.71
287/3	0.20	408/2	0.18
287/5	0.20	408/3	0.08
298/1	0.28	408/4	0.26
299	0.31	408/5	0.08
301/1	0.07	411/1	0.07
301/2	0.26	413/3	0.54
301/4	0.19	414/2	0.20

(1)	(2)
414/3	0.50
414/4	0.22
414/5	0.05
414/6	0.22
414/8	0.22
415/1	0.53
415/3	0.38
416/5	0.01
416/7	0.01
416/8	0.01
416/10	0.01
416/13	0.03
416/14	0.02
416/18	0.04
416/19	0.04
419/1	0.01
419/3	0.03
419/4	0.02
419/5	0.02
419/6	0.02
419/8	0.02
432/2	0.47
432/3	1.45
433/2	0.07
434	0.47
435/1	0.10
436/1	0.87
436/2	0.43
437	1.20
438/1	0.43
438/2	0.42
440/2	0.04
440/5	0.07
440/6	0.08
441/9	0.02
441/10	0.01
441/14	0.02
441/15	0.03
442/2	0.05
442/3	0.05
443/1	0.04
443/2	0.02
443/3	0.05
443/4	0.03
443/6	0.03
444/1	0.09

(1)	(2)
444/2	0.09
446/1	0.55
447/1	0.12
447/2	0.07
447/6	0.09
447/7	0.11
447/8	0.13
447/9	0.12
448/3	0.30
449/1	1.58
449/2	0.79
449/3	1.58
449/4	1.58
449/5	0.79
451	0.61
452/1	0.78
452/4	0.43
452/5	0.77
452/6	0.40
453	0.14
454/1	0.37
455	0.52
456/1	0.55
456/2	0.55
457/1	0.20
457/2	0.76
457/3	0.46
457/4	0.50
457/5	0.20
458	0.70
459/4	0.36
471/1	0.36
471/7	0.59
471/8	0.43
471/10	0.10
471/13	0.35
471/19	0.53
471/20	0.12
472/4	0.16
472/5	0.26
474/1	0.58
474/2	0.16
474/3	0.02
474/5	0.30
474/9	1.10
474/11	0.05

(1)	(2)
475/1	0.42
475/2	0.26
475/3	0.20
475/7	0.30
475/11	0.62
475/13	0.62
475/15	0.20
476/1	0.53
476/2	0.53
477	0.05
480/1	0.22
481/2	0.32
481/3	0.12
482/2	0.04
482/3	0.09
485/1	0.30
485/2	0.24
488/4	0.05
488/8	0.01
488/9	0.02
489/1	0.51
491	0.08
493/1	0.74
494/1	0.96
495/1	0.42
522/1	0.32
522/2	0.35
522/3	0.13
योग	69.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में उपलब्ध है शासकीय कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2012

क्रमांक 523/उ.न्या.वि.से./12.— श्री जी. के. मिश्रा, तत्कालीन सचिव, छ.ग. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर वर्तमान द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) को उनके आवेदन दिनांक-09-04-2012 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक-01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति, छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्र.-13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय अध्यक्ष महोदय के
आदेशानुसार,

एन. डी. तिगाला,
सचिव.

छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्रमांक 320/स.को./रा.मं./2012.—सदस्य, छ.ग. राजस्व मण्डल, बिलासपुर का पद रिक्त होने के परिणामस्वरूप पूर्व कार्य विभाजन अधिसूचना अनुसार सदस्य, छ.ग. राजस्व मण्डल, बिलासपुर के द्वारा सुनवाई किये जाने वाले जिलों से संबंधित प्रकरणों के निराकरण में बिलंब होने के कारण उक्त जिलों के प्रकरणों की सुनवाई सदस्य, छ.ग. राजस्व मण्डल, बिलासपुर की प्रदस्थापना होने तक अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मण्डल, बिलासपुर के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्य दिवसों (प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं मंगलवार) के अनुसार की जायेगी.

अजय पाल सिंह,
अध्यक्ष.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/4426.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/3347 रायपुर, दिनांक 29-08 2012 द्वारा श्री के. आर. देवांगन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली, को कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर महासमुन्द के आदेश क्रमांक 1368 दिनांक 01-09-2012 द्वारा किये गये कार्य विभाजन अनुसार श्री के. आर. देवांगन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली, को डिप्टी कलेक्टर महासमुन्द का कार्य आवंटित होने से कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली के भारसाधक अधिकारी का पद रिक्त हो गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री के. आर. देवांगन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली, के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./32/2012-13/4565.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/1717 रायपुर, दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री कपिल देव दीपक, उप संचालक कृषि कांकेर, को कृषि उपज मण्डी समिति कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर उ.ब.कांकेर के पत्र क्रमांक 4584 दिनांक 27-09-2012 द्वारा श्री कपिल देव दीपक उप संचालक कृषि का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर उप संचालक कृषि कांकेर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री कपिल देव दीपक उप संचालक कृषि कांकेर के स्थान पर उप संचालक कृषि कांकेर को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.